Bank credit has been further tightened in the case of sensitive commodities such as sugar, oilseeds, edible oils and pulses. Purchasing power is sought to be curbed by an Ordinance under which the repayments of compulsory deposits falling due on July 6, 1979 have been postponed by a year. The responsibility for regulating market releases of sugar has been resumed by the Government and the coverage of the public distribution system has been expanded from July 1, 1979.

Reported debarment of Private Cargo Airlines from operating Air Services

805. DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some private cargo airlines have been debarred by the DGCA from operating air services ;

(b) the details of such airlines and the routes they were operating together with the value of business handled by them ;

(c) the value of business handled by the above companies for Air India and Indian Airlines; and

(d) the names of the private air companies at present functioning in the country together with the value of business handled by them ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

(d) (1) Huns Air Pvt. Ltd.

(2) Air Works, India.

(3) Pushpaka Aviation Ltd.

Information of the business handled by these companies is not available.

मनीला में हुए "अंकटाड" सम्मेलन से भारत को लाभ

806. डा० रामजी सिंह :
श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

क्या वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीला में हुए 'अंकटाड-5' सम्मेलन के निष्कर्षों के आधार पर विकासशील देशों को क्या लाभ होने की सम्भावना है ;

(ख) क्या भारत ने सामान्य कोष में 50 लाख डालर की राशि देने का फैसला किया है ; और

(ग) इससे भारत को कितना लाभ होगा और अन्य विकासशील देशों की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने में यह कितना सहायक होगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) अंकटाड-5 की कार्य सूची बहुत व्यापक थी जिसमें वस्तुत: व्यापार तथा विकास के क्षेत्र में विकासशील देशों से संबंधित सभी प्रमुख विषय शामिल थे । सम्मेलन से निकलें निष्कर्षों में से विकासशील देशों को होने वाले लाभों पर विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को पुन बनाने के लिए किए गए प्रयत्नों तथा एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को तीव्र करने के संदर्भ में विचार करना चाहिए । इस दिशा में अंकटाड से प्राप्त सीमित लाभ संक्षेप में नीचे दिए गए हैं :—

संरक्षणवाद तथा संरचनात्मक समायोजन पर एक संकल्प पारित किया गया जिसमें विकसित देशों ने संरक्षणवाद को शामिल करने के लिए संरचनात्मक समायोजन के महत्व की पुष्टि की और इस पर सहमति हुई कि अंकटाड के व्यापार तथा विकास बोर्ड द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा व्यापार के पटनों की वार्षिक समीक्षा की जाए । इस पर भी सहमति हुई कि राष्ट्रीय सरकारें अपनी समायोजन नीतियां तथा उपाय क्रियान्वित करते समय उन समीक्षाओं और उनकी सामान्य सिफारिशों को ध्यान में रखेंगी । विकासशील देशों से यह भी कहा गया कि वे विकासशील देशों से होने वाले आयातों के सम्बन्ध में यथावत उपबंधों का सख्ती के साथ पालन करें और मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों को, विशेष रूप से विकासशील देशों के निर्यात के सम्बन्ध में, कम करने तथा उन्हें हटाने की दिशा में कार्य करें । इस बात पर भी सहमति हुई कि गाट को एक उचित निकाय के रूप में विकासशील देशों के आयातों के बदले विकसित देशों द्वारा भविष्य की संरक्षणात्मक कार्यवाही के प्रत्येक मामले की जांच करनी चाहिए ।

सरकारी विकास सहायता (ओ डी ए) के संबंध में सम्मेलन में एक संकल्प पारित किया गया, जिसमें ओ डी ए में वृद्धि करने के लिए नये तथा अतिरिक्त उपायों पर विचार करने और पारित करने के लिए विकसित देश सहमत थे । इस संकल्प में यह भी मांग की गई है कि कार्यक्रम सहायता और स्थानीय तथा आवर्ती लागत वित्त-पोषण के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि की जाए ताकि ओ डी ए ऋण तथा अनुदान यथासंभव अधिकतम संभावित सीमा तक बिना शर्तों के बिना और अधिक विलम्ब के आई डी ए की छठी

प्रतिपूर्ति की जा सके और विश्व बैंक के पूंजी आधार पर पर्याप्त वार्षिक वृद्धि हो सके ।

वस्तुओं के क्षेत्र में सम्मेलन में यह सहमति हुई कि अलग-अलग वस्तुओं तथा प्रमुख वस्तुओं के संदर्भ को विकासशील देशों में बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के ढांचे की स्थापना तथा विकासशील देशों के विपणन तथा वस्तु निर्यातों के क्षेत्र में वर्तमान कार्यक्रम को जारी रखा जाए ।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, सम्मेलन में विकासशील देशों की प्रौद्योगिकी क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत से कदमों पर सर्वसम्मति व्यक्त की गई तथा इसमें कहा गया कि अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट प्रणाली में आगे होने वाले संशोधन में विकासशील देशों के संबंधित मामलों को ध्यान में रखा जाए ।

महत्वपूर्ण समृद्धीय देशों ने अंकटाड-5 में वचन दिया कि वे लाइनर सम्मेलन के लिए आचार संहिता पर 1974 के संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर्थन करेंगे तथा उसे प्रभावी बनाएंगे और सम्मेलन में सरकारों से इस संहिता से संबंधित अभिसमय का शीघ्र कार्यान्वयन करने की दिशा में सभी आवश्यक उपाय करने के लिए कहा गया ।

सम्मेलन में, अल्पमत विकसित देशों के विकास को तीव्र करने के कार्यक्रम तथा भूबेष्ठित विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं और समस्याओं से संबंधित कार्यवाही का एक व्यापक कार्यक्रम भी अनुमोदित किया गया ताकि वे अपनी भौगोलिक और अन्य बाधाओं को दूर कर सकें ।

विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग (ई सी डी सी) पर सम्मेलन में पारित किए गए संकल्प में कार्य अभिमुख प्रस्तावों को पेश करने की मांग है और अंकटाड द्वारा सहायता प्राप्त वाले विकासशील देशों की बैठकें करने की व्यवस्था है ताकि ई सी डी सी सम्बन्धी अंकटाड समिति के विशेष सत्र के संदर्भ में जो अगले वर्ष के आरम्भ में बुलाया जाएगा, विकासशील देशों के बीच व्यापार अधिमानों की विश्व व्यापी प्रणाली की स्थापना, राज्य व्यापार संगठनों के बीच सहयोग और विकासशील देशों के बीच बहुराष्ट्रीय विपणन उद्यमों की स्थापना के लिए आरम्भिक कार्य किया जा सके ।

तथापि, सम्मेलन में इस क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धि है पारस्परिक आर्थिक सहयोग तथा आत्म-निर्भरता के लिए विकासशील देशों में नई आकांक्षाएं । वाणिज्य मंत्री द्वारा रखे गए 50 अरब डालर तक की टैरिफ रियायतों के आधार पर विकासशील देशों के बीच टैरिफ सम्बन्धी वार्ताओं के एक नए दौर के विशिष्ट प्रस्ताव से विकासशील देशों के बीच और अधिक सहयोग की आशा ने जन्म लिया । ऐसे सहयोग के क्षेत्र में और बल देने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्री ने मेजबान देश फिलीपाइन्स के राष्ट्रपति मार्कोस और अन्य विकासशील और विकसित देशों के नेताओं से मनीला में विस्तृत विचार विमर्श किया । फिलीपाइन्स, भारत व अन्य देशों द्वारा की गई इस पहल के अनुसरण में, विकासशील देशों ने मनीला में 18 देशों की एक समिति गठित करने का विनिश्चय किया ताकि उनके बीच बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग की रीतियों का निश्चय किया जा सके और कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मानिटर किया जा सके । भारत की इस समिति के एक सदस्य के रूप में नामजद किया गया है ।

(ख) तथा (ग) मनीला में अंकटाड सम्मेलन के दौरान भारत ने विशेषकर सामान्य निधि को दूसरी विन्डो के लिए, जब यह स्थापित हो जाए, 50 लाख डालर के अंशदान की अपनी मंशा की घोषणा की । निधि की दूसरी विन्डो बफर स्टाक के अलावा वित्तीय उपायों में सहायता करेगी जिसको भारत बहुत महत्व देता है । ऐसी आशा है कि इससे कीमत-स्तरों को, जिनकी बढ़ती हुई प्रवृत्ति है स्थिर करने में सहायता मिलेगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु व्यापार में विकासशील देशों की स्थिति को सुदृढ़ बनाएगी ।

Creation of posts in Customs and Central Excise Department

807 SHRI DAULAT RAM SARAN: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) the number of posts created in and above rank of Deputy Director of Customs & Central Excise, Deputy Directors, Assistant Commissioner of Income Tax and equivalent posts after the Budget Speech i e , 28th February, 1979 in which need for curtailing expenditure was stressed; and

(b) the justification for creating such posts ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) The number of posts sanctioned after 28-2-79, in the grades referred to in the question is four

(b) One post of Collector has been created for the new Collectorate set up in the State of Maharashtra for better administration of the Central Excise, Customs & other allied laws. The remaining staff for this Collectorate has been found by redeployment from within the existing staff.